रजिस्ट्री सं० डी०एल०-33004/97 REGD. NO. D.L.-33004/97

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 46] नई दिल्ली, शुक्रवार, मार्च 14, 1997/फाल्गुन 23, 1918
No. 46] NEW DELHI, FRIDAY, MARCH 14, 1997/PHALGUNA 23, 1918

खाद्य मंत्रालय

(खाद्य विभाग)

नई दिल्ली, 14 मार्च, 1997

संकल्प

संख्या 5-2/96-चीनी डेस्क-3.—इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए एक निर्णय के अनुसरण में, जिसमें न्यायालय ने आधुनिकीकरण के जरिए चीनी के उत्पादन और चीनी उद्योग की कार्यकुशलता में वृद्धि करने के उद्देश्य से अन्य चीनी उत्पादक देशों की तुलना में भारत में चीनी उद्योग के विकास के बारे में अध्ययन करने और किसी मौजूदा कानून और नियंत्रणों में आशोधन, संशोधन करने अथवा उन्हें निरस्त करने के बारे में सुझाव देने के लिए केन्द्रीय सरकार को एक उच्च शक्ति प्राप्त समिति का गठन करने के लिए निदेश दिया गया था, केन्द्रीय सरकार ने एक उच्च शक्ति प्राप्त समिति का गठन करने का निर्णय किया है जिसमें निम्नलिखित शामिल होंगे :—

1. श्री बी. बी.महाजन, सेवा-निवृत्त खाद्य सचिव	अध्यक्ष
2. अध्यक्ष, नेशनल फेडरेशन आफ को-आपरेटिव शुगर फैक्ट्रीज	सदस्य
3. अध्यक्ष, इंडियन शुगर मिल्स एसोसिएशन	सदस्य
4. कनफेडरेशन आफ इण्डियन इंडस्ट्रीज का प्रतिनिधि	सदस्य
5. श्री चन्द्र पाल सिंह, अध्यक्ष उत्तर प्रदेश गन्ना यूनियन फेडरेशन	सदस्य
6. प्रो. ईश्वरी प्रसाद, जे. एन. यू. से सेवा-निवृत्त, 42, विद्या विहार, पीतम पुरा, नई दिल्ली	सदस्य

7.	श्री आर. एल. श्रीवास्तव, कार्यकारी निदेशक, आई. एफ. सी. आई.	सदस्य
8.	सचिव (चीनी के प्रभारी), उत्तर प्रदेश	सदस्य
9.	सचिव (चीनी के प्रभारी), महाराष्ट्र	सदस्य
10.	सचिव (चीनी के प्रभारी), कर्नाटक	सदस्य
11. 12. 13.	कृषि मंत्रालय द्वारा नामित किए जाएंगे जिनमें कृषि, कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा और गन्ना किसानों का प्रतिनिधित्व होगा ।	सदस्य
14.	संयुक्त सचिव (चीनी), खाद्य विभाग	सदस्य
15.	कृषि लागत और मूल्य आयोग का प्रतिनिधि	सदस्य
16.	औद्योगिक लागत और मूल्य ब्यूरो का प्रतिनिधि	सदस्य
17.	श्री जे. जे. भगत, मिशन निदेशक, चीनी प्रौद्योगिकी मिशन	सदस्य सचिव

2. समिति के विचारणीय विषय निम्नलिखित होंगे :

(i) अन्य चीनी उत्पादक देशों की तुलना में भारत में चीनी उद्योग का विकास करने के बारे में अध्ययन करना ।

(ii) भारत और अन्य चीनी उत्पादक देशों में चीनी, गन्ना और चीनी उद्योग से संबंधित कानूनों, नियमों और विनियमों को अध्ययन करना ।

(iii) किसी मौजूदा कानून और नियंत्रणों में आशोधन, संशोधन करने अथवा उन्हें निरस्त करने के बारे में सुझाव देना ताकि चीनी उद्योग का स्वस्थ विकास करना और किसानों तथा उद्योग के बीच स्वस्थ संबंध बनाना सुनिश्चित किया जा सके ।

(iv) आधुनिकीकरण के जरिए चीनी के उत्पादन और चीनी उद्योग की कार्यकुशलता में वृद्धि करने के लिए अर्थोपायों के बारे में सुझाव देना ताकि आम जनता को उचित मूल्यों पर चीनी उपलब्ध हो सके ।

(v) गन्ने की उत्पादकता में वृद्धि करने के तरीकों और गन्ना उत्पादकों को उचित और लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करने के उपायों के बारे में सुझाव देना ।

3. समिति का मुख्यालय नई दिल्ली में होगा ।

4. समिति से अपेक्षा की जाएगी कि वह अपनी रिपोर्ट इस संकल्प की तारीख से छः महीने के अन्दर खाद्य मंत्रालय को प्रस्तुत करे ।

अरूण सिन्हा, सचिव

MINISTRY OF FOOD

(Department of Food)

New Delhi, the 14th March, 1997

RESOLUTION

No. 5-2/96-SD. III.—In pursuance of a judgement delivered by Allahabad High Court in which court directed the Central Government to set up a high-powered committee to study the development and growth of sugar industry in India *vis-a-vis* other sugar-producing countries and suggest modifications, amendments or repeal of any existing law and controls in order to increase production and efficiency through modernisations, the Government have decided to set up a high-powered committee consisting of the following persons :

1.	Shri B. B. Mahajan, Retired Food Secretary	Chairman
2.	Chairman, National Federation of Coop. Sugar Factories.	Member

3.	Chairman, Indian Sugar Mill Association	Member
4.	Representative of Confederation of Indian Industry	Member
5.	Shri Chandra Pal Singh, Chairman, UP Cane Union Federation	Member
6.	Prof. Ishwari Prasad, Retd. From JNU, 42, Vidya Vihar, Pitam Pura, New Delhi-110032.	Member
7.	Shri R. L. Srivastava Executive Director, IFCI.	Member
8.	Secretary (Incharge of Sugar), UP.	Member
9.	Secretary (Incharge of Sugar), Maharashtra	Member
10.	Secretary (Incharge of Sugar), Karnataka.	Member
11. 12. 13.	To be nominated by the Ministry of Agriculture, representing Agriculture, Agricultural Research & Edn. & Cane farmers	Member
14.	Joint Secretary (Sugar), Deptt. of Food.	Member
15.	Representative from Commission for Agricultural Costs and Prices.	
16.	Representative from Bureau of Industrial Costs & Prices.	Member
17.	Shri J. J. Bhagat, Mission Director, Sugar Technology Mission.	Member Secretary

2. The terms of reference of the Committee are as follows :

(i) To study the development and growth of sugar industry in India *vis-a-vis* other sugar-producing countries.

(ii) To study the laws and rules and regulations relating to sugar, sugarcane and sugar industry in India and other sugar-producing countries.

(iii) To suggest modifications, amendments or repeal of any existing law and controls with a view to ensure healthy growth and development of the sugar industry, and building healthy relationships between the farmers and the industry.

(iv) To suggest ways and means to increase production and efficiency through modernisation so that sugar is available to the general public at reasonable prices.

(v) To suggest methods for increasing productivity of sugarcane and ways to ensure fair and remunerative prices to sugarcane growers.

3. The Headquarters of the Committee shall be in New Delhi.

4. The Committee will be required to submit its report to the Ministry of Food within six months of the date of the Resolution.

ARUN SINHA, Secy.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054 — 1997